1/11/17	वकील फरीकेन उप० पूर्वानुसार वास्ते बहस दि० 6/12/17 को पेश हो / Ri4
6/12/17	वकील फरीकेन उप०/ पूर्वानुसार वास्ते बहस दि० 3/1/18 को पेश हो / Ri4
3/1/18	वकील फरीकेन उप०/ पूर्वानुसार दि० 24/1/18 को पेश हो / Ri4
24/1/18	वकील प्रार्थीगण श्री [illegible] वकील अप्रार्थी गण उप० पूर्वानुसार वास्ते बहस दि० 21/3/18 को पेश हो / Ri4
21/3/18	वकील फरीकेन उप० पूर्वानुसार दि० 25/4/18 को पेश हो / Ri4
25/4/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार - 2018 के तहत ग्राम पंचायत तलेड़ा में पेश हुई। प्रकरण को कैम्प कोर्ट में रखा जाकर सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में उपलब्ध जमाबंदी फोटोप्रति संवत् 2015 के अनुसार विवादित आराजीयात - बाड़ी मूर्ति मंदिर श्री ठाकुर रामजी विराजमान महन्तपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा जमाबंदी फोटो प्रति सं. 2057-60 ग्राम तलेड़ा के अनुसार विवादित आराजीयात अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजीयात →निरन्तर Ri4

नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए	हुक्म या कार्यवाहीमदइनिशियल्स	नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए ।
	मूर्ति मंदिर सालिगरामजी बनाम घनश्याम वगैरा 27/08 T-9. मु.नं. 27/08 अप्राप्तवय के नाम ट्रान्सफर किये जाना है हुई है; इन तथ्यों को वादपत्र में साक्ष्य सबूतों के आधार पर तय किया जावेगा। चूंकि विवादित आराजी मूर्ति मंदिर श्री सालिगरामजी से संबन्धित है जो कि सब प्रावृत्त नाबालिग की परिभाषा में आता है जिसकी जायदाद को किसी भी रीति-नीति से अन्तरण नहीं किया जा सकता है। जिसके हितों की रक्षा स्वयं न्यायालय द्वारा ही किया जाना न्यायोचित है, इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र वादपत्र के निर्णय तक स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय द्वारा जारी अंतरिम आदेश दिनांक 18/9/04 को तांफैसला स्थाई कन्फर्म किया जाता है। निर्णय वादे पेश कोई [illegible] पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दाखिल रहे। [signature]	